रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-650/2017/2402/22-2-2016-17(01)/2014
लखनऊ:दिनांक: 14 अगस्त, 2017
आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला **कारागार, शाहजहांपुर** के सिद्धदोष **बन्दी महेन्द्र पाल सिंह (बन्दी संख्या-3030/2013) पुत्र श्री अहिबरन सिंह, निवासी ग्राम-बरीखास, थाना-मदनापुर, जिला-शाहजहांपुर,** जिन्हें **सत्र परीक्षण संख्या-1869/2003** के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की **धारा-498ए, 304बी व धारा-4 डी0पी0 एक्ट** के अधीन मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-3**, शाहजहांपुर** के आदेश **दिनांक 20-04-2005** द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया था, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16-03-2007 द्वारा 07 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, **शाहजहांपुर** के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-650/2017/2402(1)/22-2-2016 तद्दिनांक :
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1-महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2-जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर।
3-पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर।
4-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5-अधीक्षक, जिला कारागार, शाहजहांपुर।
6-कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।